न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस.सी. / एस.टी.(पी.ए.) एक्ट, सुलतानपुर।

उपस्थित–राकेश पाण्डेय
(J.O.code no-U.P.-2397)
UPST010050852026

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1599 / 2026

उदय प्रताप सिंह उर्फ पंजाबी सिंह पुत्र रामनेवाज सिंह, निवासी ग्राम खुनशेखपुर, थाना कोतवाली लम्भुआ, जनपद सुलातनपुर। ....प्रार्थी / अभियुक्त

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य ....विपक्षी / अभियोगी।

मुकदमा अपराध संख्या–278 / 2021
(विशेष परीक्षण संख्या–772 / 2021),
धारा–323, 504 भारतीय दण्ड संहिता
व धारा–3(1)(r), 3(1)(s) एस0सी0 / एस0टी0 एक्ट,
थाना कोतवाली लम्भुआ, जिला सुलतानपुर।

1. प्रार्थी / अभियुक्त उदय प्रताप सिंह उर्फ पंजाबी सिंह की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–278 / 2021, धारा 323, 504 भारतीय दण्ड संहिता व धारा–3(1)(r), 3(1)(s) एस0सी0 / एस0टी0 एक्ट, थाना कोतवाली लम्भुआ, जिला सुलतानपुर में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र पर सुना गया तथा प्रस्तुत अभिलेखों का परिशीलन किया गया।

2. प्रार्थी / अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी / आवेदक पूर्णतया निर्दोष है तथा उक्त वाद में पूर्व में जमानत पर रिहा किया जा चुका है। दिनांक 01.05.2026 को नियत तिथि पर उसकी तबीयत खराब हो जाने के कारण वह न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका, उसने अपने अधिवक्ता को बीमारी की सूचना दी थी तथा अधिवक्ता द्वारा हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, किन्तु बरवक्त पुकार अधिवक्ता के अन्य मुकदमे में व्यस्त होने के कारण न्यायालय में उपस्थित न हो पाने से प्रार्थी के विरुद्ध गैर–जमानती वारंट जारी हो गया। तत्पश्चात थाना लम्भुआ पुलिस द्वारा दिनांक 23.05.2026 को वारंट के अनुपालन में उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। प्रार्थी की उक्त गैरहाजिरी जानबूझकर न होकर उपर्युक्त कारणोंवश हुई, जो क्षम्य है। पूर्व में उसके विरुद्ध अनुपस्थिति के कारण कभी कोई वारंट जारी नहीं हुआ है तथा उसने जमानत का किसी प्रकार दुरुपयोग नहीं किया है। इन्हीं कथनों आधारों पर प्रार्थी / अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

3. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत का घोर विरोध किया गया है।

4. प्रार्थी / अभियुक्त पूर्व में जमानत पर था और अनुपस्थिति के कारण उसके

विरूद्ध निर्गत गैर जमानतीय वारण्ट पर गिरफ्तार होकर दिनॉक 23.05.2026 से कारागार में निरूद्ध हैं। न्यायालय की राय में उसे उसकी अनुपस्थिति का पर्याप्त दण्ड मिल चुका है। अतः पुनः नये प्रतिभू प्रस्तुत करने पर आधार जमानत पर्याप्त है। फलस्वरूप जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है, तद्नुसार आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त उदय प्रताप सिंह उर्फ पंजाबी सिंह की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–278/2021, धारा 323, 504 भारतीय दण्ड संहिता व धारा–3(1)(r), 3(1)(s) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट, थाना कोतवाली लम्भुआ, जिला सुलतानपुर में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा 30,000/–रूपये (तीस हजार रूपये) का स्वबंधपत्र एवं इसी धनराशि की एक सक्षम नवीन प्रतिभू प्रस्तुत करने पर, जमानत पर मुक्त किया जाये।

ह0

(राकेश पाण्डेय)
विशेष न्यायाधीश, एस0सी0/एस0टी0 (पी0ए0) एक्ट
सुलतानपुर।

दिनॉक–01.06.2026